रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 | REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 1978/वैशाख 9, 1900
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1978/VAISAKHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1978

सा० का० नि० 538.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वादपत्रों और लिखित अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें सत्यापित करने से सम्बन्धित भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में —

1. शीर्षक "V-क अणु ऊर्जा विभाग" के नीचे उपशीर्षक "(xi) नरौरा अणु शक्ति परियोजना" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xii) भारी पानी परियोजना (केन्द्रीय कार्यालय) परियोजना निदेशक एवं विशेषकार्य अधिकारी,
उप परियोजना निदेशक।
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।

(xiii) भारी पानी परियोजना (बड़ौदा)
उप परियोजना निदेशक।
संनिर्माण प्रबन्धक
प्रशासनिक अधिकारी।

(xiv) भारी पानी परियोजना (कोटा)
उप परियोजना निदेशक
संनिर्माण प्रबन्धक
प्रशासनिक अधिकारी

(xv) भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन)
उपपरियोजना निदेशक
परियोजना प्रबन्धक
संनिर्माण प्रबन्धक
प्रशासनिक अधिकारी।

(xvi) भारी पानी परियोजना (तालचर)
परियोजना प्रबन्धक
संनिर्माण प्रबन्धक
प्रशासनिक अधिकारी।"

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[File No. A. 12018/7/77-Est./D.S.(A)]
I. K. SURI, Dy. Secy

नई दिल्ली 12 अप्रैल, 1978

सा॰का॰नि॰ 570.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-I,पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-Iपद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. आकाशवाणी (श्रेणी-Iपद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रमसंख्या I के सम्मुख कालम 12 के अंतर्गत प्रविष्टियों के नीचे नोट के पैरा(2) में "तीन वर्ष और तीन महीने" शब्दों के स्थान पर "30जून, 1978 तक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भर्ती नियमों में इस मंत्रालय की दिनांक 23 अक्तूबर 1974 की गजट अधिसूचना संख्या 5/33/70-बी(ए) के द्वारा संशोधन किया गया था जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 16 नवम्बर, 1979 से प्रभावी हो गया था। आकाशवाणी (श्रेणी-Iपद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 के क्रम संख्या I के सम्मुख कालम 12 के अंतर्गत (2) और (3) के सम्मुख उल्लिखित अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन शुरू में 16-11-1974 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहना था; बाद में ये उपबन्ध 15 नवम्बर, 1975 से आगे 2 वर्ष और 3 महीनों की अवधि के लिए अर्थात 15 फरवरी, 1978 तक बढ़ा दिए गए थे। भर्ती नियमों को अब 30 जून,1978 तक वैध बनाना है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो सके। अतः भर्ती नियमों के प्रवर्तन में निरन्तरता आवश्यक है। विभिन्न प्रशासनिक कारणों से इस अधिसूचना को पहले जारी करना संभव नहीं हो सका। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व व्याप्ति सहित उक्त संशोधन से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं॰12018(5)/76-बी (ए)]
मोहन लाल टन्डन, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 1978

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against serial No. 1, in paragraph (2) of the Note below the entries in Column 12, for the words "three years and three months", the words "upto the 30th June, 1978" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The recruitment rules were revised vide this Ministry's gazette notification No. 5/33/70-B(A) dated 23rd October, 1974 and became effective on 16th November, 1974 on their publication in the Official Gazette. Selection by the D.P.C. from officers mentioned at (ii) & (iii) against Serial number 1 in Column 12 of the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974 was initially to remain in force for a period of one year with effect from 16-11-1974; these provisions were subsequently extended beyond 15th November, 1975 for a period of two years and three months, i.e. upto the 15th February, 1978. The recruitment rules are now be made valid upto the 30th June, 1978 to facilitate holding of the D.P.C. As such, continuity in the operation of recruitment rules is necessary. For various administrative reasons, it has not been possible to issue the notification earlier. It is also certified that the amendment with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

[No. 12018(5)/76-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1978

सा॰का॰नि॰ 571.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 46 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (ओ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियम, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) चौथा संशोधन नियम, 1978 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियम, 1976 की द्वितीय अनुसूची में भाग II में, क्रम संख्या 3 और उससे सम्बन्धित इन्दराजों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और इन्दराज प्रतिस्थापित किए जायेंगे, नामत :—

1	2	3	4
"3. पाण्डिचेरी	धारा 11 या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के अलावा अधिनियम के सभी आदेश	पाण्डिचेरी नगर संघटीकरण	सरकार के सचिव, राजस्व विभाग, पाण्डिचेरी"

[एफ़ सं॰ 1/62/76-यू॰ सी॰ यू॰]
एस॰ महादेव अय्यर, उप सचिव